उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

232
16/2/15

संख्या / ए–2 / 384 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा0 अध्यक्ष (म0) के अनुमोदन के कम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

क0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम	परियो0 की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1–	046049	जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0–11, मेरठ में परिषद निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित एफ–32 प्रकार के 768 नग (जी+3) भवनों का निर्माण कार्य।	3113.79	101/48

1– उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
2– कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
3– प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
4– उक्त कार्य प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 1 वर्ष 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
5– विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
6– निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
7– आवास आयुक्त (म0) के निर्देशान्तर्गत उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में उच्चतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाय। कार्य की गुणवत्ता की चेकिंग सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवश्य ही सुनिश्चित की जाय।
8– प्रश्नगत कार्य की वित्त पोषण का स्रोत्र परिषद फण्ड है।
9– प्रश्नगत कार्य की निविदा एकल ग्रुप में आमंत्रित की जाय।
10– प्रश्नगत भवनों का निर्माण/निविदा की कार्यवाही भवनों के वास्तविक पंजीकरण के आधार पर की जायेगी।

(एस0के0रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

पृ0सं0: 405 /उक्त /384 दिनांक: 30.1.2015

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता(मु0)/निर्माण खण्ड–05, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

30/1/15
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

A-1 Pres 209 -

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या / ए–2 /टी0एस0/384 दिनांक 16/9/15

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, मेरठ के पत्र सं0–1988/डब्लू0जी–1/321 दिनांक 19.08.2015 द्वारा प्रेषित प्राक्कलन एवं संस्तुति के क्रम में एतद्द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है :–

1–	कार्य का विवरण	जागृति विहार (विस्तार), योजना संख्या –11, मेरठ में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एफ–32 प्रकार के 768 नग (जी+3) भवनों का निर्माण कार्य।
2–	आई0डी0कोड नं0	046049
3–	अ– प्रशासनिक स्वीकृति का संदर्भ	अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश सं0–405/ए–2/384 दिनांक 30.01.2015
	ब– कार्य की लागत	रु0 3113.79 लाख
4–	तकनीकी स्वीकृति का लागत	रू0 3113.79 लाख
6–	लेखा शीर्षक संख्या	101/48

प्रतिबन्ध

1– कार्यो का सम्पादन मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों के अनुसार कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

2– विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

3– तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

4– भवनो की स्ट्रक्चरल डिजाइन का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से करके उनकी संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किया जाय।

5– भवन में नींव की खुदाई करते समय यह देख लिया जाये कि मिट्टी की प्रकृति स्वायल टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है अथवा नहीं। यदि इसकी गुणवत्ता में कोई अन्तर हो तो स्वायल का पुनः परीक्षण करा लिया जाय तथा नींव की डिजाइन आदि मे तदनुसार आवश्यक संशोधन कर लिये जाये।

6– कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्वायल टेस्टिंग अवश्य करायी जाय। तदनुसार ही नींव की डिजाइन करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

8– भवनों का निर्माण वास्तविक पंजीकरण के आधार पर ही कराया जाय।

9– उक्त भवनों का निर्माण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार निर्धारित अवधि 18 माह में पूर्ण कर लिया जाय।

10– प्राक्कलन में ली गयी सामग्री का परीक्षण प्रयोग करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाय।

11– प्राक्कलन में ली गयी दरों का आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।

All AE | Cr

EE

(आर0के0अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता

पृ0सं0: 3507/ ए–2 /टी0एस0/384 दिनांक 24-8-2015

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ ।

2– अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)/द्वितीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।

3– अधिशासी अभियन्ता (नि–1)/निर्माण खण्ड–08, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मेरठ।

AE 15/CR

मुख्य अभियन्ता